प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद, शामली, आगरा, गौतमबुद्धनगर, मुरादाबाद,
बरेली, ललितपुर, फतेहपुर, मीरजापुर एवं कौशाम्बी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक /आई0टी0 सेल/2024 दिनांक 16 अक्टूबर, 2025

विषयः **प्रदेश में उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों पर लगे AIS 140 GPS Device का Integration विभागीय पोर्टल https://registration.vtsdgm.up.in/register से कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आप अवगत है कि Enforcement and Monitoring Guidlines For Sand Mining 2020 के 6.4 Monitoring of Sale and Purchase of Sand के अन्तर्गत Para 1.2.13.2 "Level 2 - Transportation monitoring :- To make transportation monitoring effective and useful, all the sand carrying vehicles (tractors/trucks) should be registered with the department and GPS equipment should be installed in all the sand carrying vehicles." **(संलग्नक–1)** के आलोक में उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के GPS Device को विभागीय पोर्टल से Integrate करते हुए प्रदेश में VTS प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में यूपीडेस्को को कार्य आदेश निर्गत किया गया है। यूपीडेस्को द्वारा M/s Margsoft Technologies का चयन Work Agency के रूप में किया गया है।

निदेशालय के पत्र संख्या 1232/एम0–लक्ष्य प्राप्ति/2025–26 दिनांक 22 अगस्त 2025 **(संलग्नक–2)** के बिन्दु संख्या 4 द्वारा आपसे अपेक्षा की गयी कि उपखनिज परिवहन में लगे वाहनों का पंजीयन https://registration.vtsdgm.up.in/register पर अनिवार्य रूप से प्राथमिकता पर कराया जाना सुनिश्चित करें।

इस सम्बन्ध में पुनः अपेक्षा है कि अभियान चलाकर व यथावश्यक पट्टा क्षेत्रों व अन्य सुलभ स्थलों पर कैम्प लगाकर उपखनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीयन विभागीय पोर्टल पर कराने व GPS Device AIS 140 विभागीय पोर्टल से Integrate कराने का कष्ट करें। उक्त पंजीयन/Integration करते समय यह भी पुष्टि अनिवार्य रूप से किया जाये कि वाहन पर Active माइनटैग सही Mapped है व वाहन पर चस्पा है, M.V. Act अनुसार वाहन उपयुक्त है यथा Body Extension न हो, नम्बर प्लेट सही हो आदि। यह भी समीचीन होगा कि उपखनिज का परिवहन करने वाले वाहनों पर यूपीडेस्को द्वारा निर्धारित Specification **(संलग्नक–3)** का GPS Device नही लगा होने पर GPS Device लगवाने हेतु सम्बन्धित परिवहनकर्ता को अवगत कराने का कष्ट करें। **यह भी विचाराधीन है कि दिनांक 15.11.2025 से उपखनिज परिवहन हेतु प्रपत्र ई–एम0एम0–11 उन्हीं वाहनों के लिये जनित होगा, जिनके AIS 140 GPS Device विभागीय पोर्टल से Integrated होंगे।** अतः उपरोक्त पंजीयन व Integration प्राथमिकता पर नियमानुसार सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। शीघ्र पंजीयन/ Integration कराने वाले परिवहनकर्ता को जनपद स्तर पर सम्मानित करने पर विचार किया जा सकता है।

किसी भी तकनीकी सहयोग हेतु श्री सोमेन्द्र कुमार तिवारी, सहायक भूवैज्ञानिक/नोडल अधिकारी, वी0टी0एस0 प्रणाली मो0नं0 8076600455 व M/s Margsoft Technologies के प्रतिनिधि श्री रजत मिश्रा मो0नं0 89606667411 से सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(माला श्रीवास्तव)
निदेशक।

पत्रांक 1588/आई0टी0 सेल/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को), अपट्रान बिल्डिंग, द्वितीय तल, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. M/s Margsoft Technologies, 17/1A, Madan Mohan Malviya Marg, Lucknow - 226001, (U.P.) को इस आशय से प्रेषित कि जनपदीय खान अधिकारी से सम्पर्क कर समस्त वाहनों का Integration विभागीय पोर्टल से कराना सुनिश्चित करें।

16/10/24

(माला श्रीवास्तव)
निदेशक।

(संलग्नक- 1)

nomination based (controlled pricing) business model, the margin of private stockist should be capped over a fixed percentage of notified prices.

f. *At the stockyard, the stock supervisor should verify the authenticity of online payment receipt before issuing the transit pass. The loading of sand should be monitored electronically and all transporting vehicles should pass through an electronically monitored weighbridge. g. Real-time data capture for transportation*

Para 1.2.13.2 Level 2 - Transportation monitoring

To make transportation monitoring effective and useful, all the sand carrying vehicles (tractors/ trucks) should be registered with the department and GPS equipment should be installed in all the sand carrying vehicles. Weighbridges with CCTV should be installed at all the stockyards, active reaches to ascertain the exact quantity of sand being transported in the vehicle. Check posts with CCTV cameras should be established near all major consumption centres to check if all the transporting vehicles are carrying a valid transport permit. The transport permit generated should contain the security features mentioned under section 5.11 so that one permit cannot be re-used by generating photocopies of the permit.

Para 1.2.13.3 Level 3 - End consumer monitoring/ bulk consumer

For end consumer monitoring, a customer grievance redressal center should be established to enquire about the grievances faced by the sand consumers. The telephone number of the call center should be advertised so that it reaches the general public through which anyone in the State can register his/her complain related to the sand, be it in terms of price or any other grievance. Additionally, profiles of customers should be analyzed such as the delivery of sand at the same address, usage pattern and its comparison with the estimated usage, as mentioned in purpose, etc. Further, surprise checking

(संलग्नक-2)

प्रेषक,

सचिव एवं निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 1232/एम0–लक्ष्य प्राप्ति/2025–26 दिनांकः 22 अगस्त, 2025

विषयः माह अगस्त 2025 की प्रगति की समीक्षा से सम्बन्धित बिन्दु।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है दिनांक 20.08.2025 को की गई विभागीय समीक्षा के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि:–

1. आप अवगत हैं कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभाग का राजस्व लक्ष्य रू0–6000.00 करोड़ निर्धारित है, जिसकी प्राप्ति हेतु आवश्यक है कि प्रत्येक जनपद राजस्व व भौतिक लक्ष्यों की शत–प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करें, किन्तु यह पाया जा रहा है कि महत्वपूर्ण जनपद यथा बांदा, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ आदि द्वारा क्रमिक लक्ष्य का 60 प्रतिशत भी अब तक प्राप्त नहीं किया गया है, जो अत्यन्त असंतोषजनक है। अतः अपेक्षित है कि समीक्षा गहनता से करते हुए राजस्व लक्ष्यों तथा भौतिक लक्ष्यों की बैकलॉग सहित शत–प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जाय और आगामी माहों के लिए रणनीति बनाकर भरसक प्रयास करते हुए लक्ष्य प्राप्त किये जायें।

   जनपद सोनभद्र हमीरपुर, झाँसी, कानपुर देहात, बिजनौर, ललितपुर आदि से अपेक्षित है कि बैकलॉग सहित राजस्व लक्ष्यों व भौतिक लक्ष्यों की शत–प्रतिशत प्राप्ति इस माह में करें।
2. अब तक उपखनिज बालू/मोरम आदि की बकाया किश्तों तथा स्वास्थानें किस्म के उपखनिजों की बकाया किश्तों का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि किश्तों को नियमानुसार शत–प्रतिशत ब्याज सहित तत्काल जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।**(संलग्नक–1,2)**
3. समस्त खनन पट्टों का नियमानुसार संचालन व सतत अनुश्रवण किया जाय। इस हेतु आवश्यक है कि ई0एम0एम0–11/ई–फॉर्म सी पोर्टल के माध्यम से निरंतर निगरानी की जाय कि वर्ष में अनुमन्य उपखनिज मात्रा के सापेक्ष कितना ई0एम0एम0–11 निर्गत हुआ है, पट्टा क्षेत्र में भौतिक रूप से खनिज की क्या मात्रा उपलब्ध है, सीमा स्तम्भ सही ढंग से अनुरक्षित हैं, पी0टी0जेड0 कैमरा सही जगह स्थापित हैं व क्रियाशील हैं, सभी उपखनिज लदे वाहनों की निकासी Loading norms के अनुसार, वैध परिवहन प्रपत्र के साथ, वे–ब्रिज पर से CCTV कैमरों व RFID Reader की व्यवस्था के साथ ही हो रही है और उपखनिज परिवहन करने वाले वाहनों की body extended न हो। खनन योजना व ई0सी0 के शर्तों के अनुपालन की नियमित समीक्षा हो व निरीक्षण/जाँच आख्या व समीक्षा कार्यवृत्त निरीक्षण ऐप पर अपलोड हो।
4. उपखनिज परिवहन में लगे वाहनों का पंजीयन https://registration.vtsdgm.up.in/register पर अनिवार्य रूप से प्राथमिकता पर कराया जाय।
5. माइन–मित्रा पोर्टल पर सभी डी0एस0आर0 अनुमोदित क्षेत्रों के जियो–कॉर्डिनेट अद्यतन हों।
6. समय–समय पर सर्वे व सर्विलांस हेतु ड्रोन का उपयोग भी नियामनुसार सुनिश्चित किया जाय।
7. जनपद में अपनाई जा रही अच्छी practices का प्रस्तुतीकरण निदेशायलय/शासन की बैठकों/वी0सी0 में कराया जाय।

8. जनपद में उपलब्ध खनन क्षेत्रों का अद्यतन सर्वे कराकरः–

(a) नियमानुसार डी0एस0आर0 में सम्मिलित कराने का प्रस्ताव निर्धारित SOP अनुसार SEAC/निदेशालय को प्राथमिकता पर प्रेषित करायें।

(b) जिन क्षेत्रों में वन विभाग, सिंचाई विभाग इत्यादि की आपत्ति हो/अनापत्ति निर्गत न हो पा रही हो, उन क्षेत्रों की सूची निदेशालय को उपलब्ध कराई जाय व इन क्षेत्रों की सतत् निगरानी हो। अवैध खनन/परिवहन न होने पाये, यह सुनिश्चित किया जाय।

9. नियमानुसार replenshment study कराकर वार्षिक अनुमन्य मात्रा का निर्धारण समय से सुनिश्चित किया जाय।

10. खनिजों/उपखनिजों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु ठोस कार्यवाही समयबद्धता के साथ सुनिश्चित की जाय।

11. ई0एम0एम0–11 पोर्टल पर खनन पट्टों का विवरण सटीक व अद्यतन रखा जाना सुनिश्चित किया जाय।

12. असक्रिय खनन पट्टों का अनिवार्य रूप से भौतिक सत्यापन कराकर इन क्षेत्रों का सक्रिय संचालन नियमानुसार सुनिश्चित किया जाय।

13. जनपद सोनभद्र में घाघर नदी पर निर्माणाधीन पुल का कार्य कब पूर्ण होगा, की स्थिति स्पष्ट करते हुए संबंधित क्षेत्रों (ससनई आदि) में खनन पट्टे निमयानुसार शीघ्र संचालित कराये जायें।

14. जिन क्षेत्रों में वन विभाग के स्तर से वन अधिनियम धारा–20 अन्तर्गत कार्यवाही लम्बित हो, उनका अनुश्रवण किया जाय व तत्काल सूची उपलब्ध भी कराई जाय।

15. जनपद स्तर पर गठित टास्क फोर्स को सक्रिय रखा जाय। अवैध खनन/अवैध भण्डारण/अवैध परिवहन किसी भी दशा में न होने पाये। किसी भी प्रकार की शिथिलता/लापरवाही/दुरभिसंधि पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

16. डी0एम0एफ0 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्य कराया जाना, समय से ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट व वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण व वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाय। डी0एम0एफ0 से किये गये/कराये जा रहे कार्य नियमानुसार हों, गुणवत्तापूर्ण व मानक अनुरूप हों, यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय। इन कार्यों के फोटो/वीडियो सुरक्षित रखे जायें।

17. उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम–60 के अन्तर्गत सतत् अनुश्रवण व प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

18. समय–समय पर भण्डारण स्थल का सत्यापन किया जाय।

19. माइन–मित्रा पोर्टल पर सभी सूचनायें अद्यतन रखी जाय।

20. ईंट–भट्ठों के संबंध में खनन विभाग, Trade tax/GST, प्रदूषण बोर्ड, जिला पंचायत के माध्यम से अभिलेखीय मिलान करा लिया जाय व भट्ठा सत्र की शुरूआत होने पर भौतिक सत्यापन भी कराया जाय। बकाया विनियमन शुल्क की धनराशि को ब्याज सहित शत–प्रतिशत जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

21. ई0एम0एम0–11 किसी अव्यवहारिक गन्तव्य के लिए जारी न हो, यह सुनिश्चित किया जाय।

22. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रयुक्त उपखनिजों का अभिलेखीय व भौतिक सत्यापन तथा प्रयुक्त ई0एम0एम0–11 का (भौतिक) मिलान अवश्य कराया जाय। प्रयुक्त उपखनिज की मात्रा के सापेक्ष शत–प्रतिशत रायल्टी/खनिज मूल्य व शास्ति नियमानुसार जमा कराया जाय। जनपद स्तर पर सभी कार्यदायी संस्थाओं के पास upmines.upsdc.gov.in पर रायल्टी भुगतान की फीडिंग व ई0एम0एम0–11 के सत्यापन हेतु आई0डी0 व पासवर्ड उपलब्ध हो, यह शत–प्रतिशत सुनिश्चित किया जाय।

23. खनिज उत्पादन तथा चेकगेट से गुजर रहे वाहनों की गहन समीक्षा की जाय।
24. निर्गत वसूली प्रमाण–पत्र के सापेक्ष वसूली की गहन समीक्षा करते हुए वसूली में तेजी लायी जाय। जो वसूली प्रमाण–पत्र मा0 न्यायालय के आदेश से प्रभावित हों, उन प्रकरणों में मा0 न्यायालय में विचाराधीन वादों में प्रभावी पैरवी विभागीय व राजस्व हित में की जाय।
25. पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र के शीघ्र निर्गत होने हेतु प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।
26. माइन–मित्रा पोर्टल, सीएम–डैशबोर्ड, जनहित गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं के आवेदन यथा मिट्टी खनन, भण्डारण के आवेदनों का समय से निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।
27. चेकगेट व एम–चेक के माध्यम से निर्गत नोटिसों के सापेक्ष वसूली शीघ्र सुनिश्चित कराई जाय।
28. महालेखाकार, आन्तरिक सम्प्रेक्षण टीम द्वारा किये गये ऑडिट के क्रम में ससमय समुचित आख्या प्रेषित की जाय तथा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
29. जनपद सहारनपुर में वाहन संख्या UP11CT7847 पर 114 नोटिस लंबित होने के बाद भी अभी तक ब्लैकलिस्टिंग की कार्यवाही नही की गई है और न ही आरोपित धनराशि जमा कराई गई है। ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित वाहन/परिवहनकर्ता पर प्रभावी नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।
30. जनपद कुशीनगर में 416 (एम–चेक–22 व चेकगेट–394) से अधिक चालान बिना समुचित साक्ष्य के निरस्त किया जाना परिलक्षित हो रहा है। इस सम्बन्ध में खान अधिकारी द्वारा तत्काल स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।
31. लंबित खनन योजना का सतत् अनुश्रवण किया जाय।
32. माइन–मित्रा पोर्टल से अलर्ट प्रदर्शित होने पर त्वरित परीक्षण करते हुए नोटिस निर्गमन की कार्यवाही तत्काल की जाय। इस सम्बन्ध में लम्बित प्रकरणों का विवरण संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। **(संलग्नक–3)**
33. निदेशालय स्थित पी0जी0आर0एस0 लैब के माध्यम से चिन्हित नये खनन क्षेत्रों के भौतिक सत्यापन के उपरान्त उपयुक्त पाये गये खण्डा/गिट्टी/बोल्डर के 23 क्षेत्रों (जनपद प्रयागराज–7, महोबा–4, ललितपुर–8, झॉसी–14, चित्रकूट–8, मीरजापुर–9, सोनभद्र–11) को प्राथमिकता के आधार पर डी0एस0आर0 में सम्मिलित कराने व नियमानुसार उनके व्यवस्थापन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
34. निदेशालय स्थित पी0जी0आर0एस0 लैब के माध्यम से चिन्हित अवैध खनन के प्रकरणों के संबंध में नियमानुसार समुचित कार्यवाही कर तत्काल अवगत कराया जाय।

भवदीया,

(माला श्रीवास्तव)
सचिव एवं निदेशक

पत्रांक /एम0–लक्ष्य प्राप्ति/2025–26 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. विशेष सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. संयुक्त निदेशक, प्रभारी खनन, मुख्यालय, लखनऊ
2. समस्त प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश।

(माला श्रीवास्तव)
सचिव एवं निदेशक

(संलग्नक -3)

TECHNICAL SPECIFICATION

VLT Device AIS 140 Standard

DEVICE HARDWARE SPECIFICATION	
GSM Specification	
GSM / GPS	EC-200-U Quectel 4G/3G/2G/GPRS bands
Protocols	TCP/IP (customizable for http-based servers)
SIM	E-SIM/Neon SIM Card optional
SMS	Text SMS OTA Command Support
FOTA	FOTA FTP support
Data-packet sending frequencies	
Data sending timing on running vehicle state	10 sec(configurable)
Data sending timing on parking vehicle with ignition On	60 sec(configurable)
Data sending timing on parking vehicle with ignition Off	300 sec(configurable)
Sleep time	1200 sec(configurable)
BD: Main power disconnected alert BL: Low battery alert BH: Low battery charged alert BR: Main power reconnected alert IN: Ignition ON alert IF: Ignition OFF alert TA: Tamper alert EA: Emergency alert And many other alerts as per AIS-140 protocols	

IO's Specification	
Flash Memory	64 M-Bit for Data logging up to 50000 data packs
Accelerometer / Gyro Meter	Yes 16G (Sensitivity)
Digital Inputs	One dedicated to Ignition Input Four other Active High Digital inputs One Rising edge detector with active low input for Emergency button
Analog Inputs	One Frequency Input for RPM reading/Optional with digital Input 4 Four 12bit ADC channels read up to 28000 mV
Digital Output	Two Digital output active low up to 500mA
CAN BUS PORT	One CAN BUS (J1939 protocol) port
OBD SUPPORT	YES
UART RS 232 Port	One UART RS 232 Port with configurable baud port Use to read digital RS 232 fuel sensor data/Biometric Sensor Inputs/RF-ID. It can be customised as per requirement as well.
Tamper Switch	Yes. To detect device cover open/close
Hardware Reset Switch	Yes
Input Power Voltage	12V-60V

Current Drawn by device	Max - 350mA during Charging Nominal – 80mA when internal battery is full
Li-ion Battery	(1000mAH optional for longer backup up to 8 hours).

CONTACT DETAILS

Portal Access - **https://vtsdgm.up.in**

Technical Support Helpline - **+91- 9511119551**

Working Hours - **Monday to Friday, 10:00 AM – 6:00 PM**